महत्वपूर्ण

संख्या– 708 /60–3–14–3(20)/2008

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल बिकास अनुभाग–3 लखनऊ:: दिनॉक 22 जुलाई, 2014

विषयः स्वयंसेवी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठन/अर्द्धसरकारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के समस्त कार्य कलापों से संबंधित योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला एवं बाल बिकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं प्रदेश द्वारा संचालित महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास/कार्यकलापों से संबंधित समस्त योजनाएं जो कि स्वयं सेवी संस्थाओं / गैर सरकारी संगठन/अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती हैं, के सत्तीकरण के प्रस्तावों को भारत सरकार अग्रसारित करने अथवा राज्य सरकार स्तर से अनुदान दिये जाने से पूर्व संबंधित जिलाधिकारी की स्पष्ट संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही कराने का निर्णय लिया गया है।

2– अतएव स्वयं सेवी संस्थाओं /गैर सरकारी संगठन/अर्द्धसरकारी संस्थाओं का प्रस्ताव जिला प्रोवेशन अधिकारी/अन्य माध्यम से आपको प्राप्त होने पर इन संस्थाओं के कार्यों का संबंधित तहसील के परगनाधिकारी से स्थलीय निरीक्षण कराकर अपनी सुस्पष्ट संस्तुति शासन/निदेशक, महिला कल्याण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

21/7/14

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–708(1)/60–3–14–तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिला प्रोवेशन अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भारत सरकार व राज्यसरकार की योजनाओं के अधीन किसी भी एन0जी0ओ0 की संस्तुति देने

के पूर्व एन0जी0ओ0 की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिलाधिकारी की स्पष्ट संस्तुति के बगैर प्रस्ताव ग्रहण नहीं होगा। तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।